हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्याः पीसीएच–एचए(1)2/2019– विभाजन/पुर्नगठन – 59065-80 14 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

क्योकि उपायुक्त मण्डी के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला मण्डी के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुर्नगठन हेतु, प्रस्तावनाएं विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राजयपाल, हिमाचल प्रदेश पचांयती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप–धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मण्डी के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को नियमानुसार विभाजित/पुर्नगठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते है, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए राज्य सरकार के ई–राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला मण्डी के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुर्नगठन/जोडने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हो तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला मण्डी को प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव , जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएगें;

राज्य सरकार, जिला मण्डी के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुर्नगठन तथा नए ग्रम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला मण्डी की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगीः

क्र सं	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रमों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने बाले ग्रमों के नाम	कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	**विकास खण्ड बालीचौकी**					
	1 मुराह	1 गुराण	**गुराण**	1 गुराण	1 मुराह	
		2 मुराह			2 गागन	
		3 गागन			3 तान्दी	
		4 तान्दी			4 डी0 पी0 एफ चोहडी	

		5 डी0 पी0 एफ चोहडी			5 डी0 पी0 एफ तान्दी	
		6 डी0 पी0 एफ तान्दी			6 डी0 पी0 एफ मठेनी धार	
		7 डी0 पी0 एफ मठेनी धार			7 डी0 पी0 एफ डोरीपत्थर	
		8 डी0 पी0 एफ डोरीपत्थर			8 डी0 पी0 एफ गाच्वीगाड	
		9 डी0 पी0 एफ गाच्वीगाड			9 डी0 पी0 एफ दुधागी	
		10 डी0 पी0 एफ दुधागी			10 डी0 पी0 एफ0 मझीधार	
		11 डी0 पी0 एफ0 मझीधार			11 डी0 पी0 एफ जगई	
		12 डी0 पी0 एफ जगई			12 डी0 पी0 एफ दयाड	
		13 डी0 पी0 एफ दयाड				
2	**विकास खण्ड करसोग**					
	1 महोग	1 महोग	नाहवीधार स्थित बाग	1 खैर	1 महोग	
		2 शकाहल		2 बाग	2 शकाहल	
		3 खैर		3 डीपीएफ जगोल	3 बगुन्द	
		4 बाग		4 डीपीएफ शगाच	4 डीपीएफ बगुन्द	
		5 बगुन्द				
		6 डीपीएफ जगोल				
		7 डीपीएफ बगुन्द				
		8 डीपीएफ शगाच				
	2 भनेरा	1 चलोग	काओ(कामाक्षा)	1 काओ	1 चलोग	
		2 भनेरा		2 कुवशन	2 भनेरा	
		3 बगैण		3 डुम्हों	3 बगैण	
		4 कुवशन			4डीपीएफ सराण्डा	
		5 काओ				
		6 डीपीएफ सराण्डा				
		7 डुम्हों				
3	**विकास खण्ड बल्ह**					
	1 रजवाडी	1 रजवाडी	अणू	1 नाडटला	1 रजवाडी	
		2 बलेरन		2 अणू	2 बलेरन	
		3 सेथल			3 सेथल	
		4 नाडटला				
		5 अणू				
	2 कुम्मी	1 कुम्मी	छातडू	कुम्मी के खसरा न0 2887/1828	शेष बचा भाग कुम्मी	

				से 2514 तक		
		2 छातडू		छालडू	डी0पी0एफ0 कुम्मी	
		3 डी0पी0एफ0 कुम्मी			डी0पी0एफ0 डोयडा	
		4 डी0पी0एफ0 डोयडा				
4	**विकास खण्ड गोपालपुर**					
	1 पौण्टा	1 अप्पर बरोट	**अप्पर बरोट**	1 अप्पर बरोट	1 दरकौली	
		2 बढोई		2 बढोई	2 पौण्टा	
		3 दरकौली		3 लोअर बरोट	3 गाहरी भदरपुर	
		4 पौण्टा			4 बग्गी	
		5 गाहरी भदरपुर			5 चुहकू	
		6 बग्गी			6 सिहारल	
		7 चुहकू			7 शामलाट	
		8 सिहारल				
		9 लोअर बरोट				
		10 शामलाट				
5	**विकास खण्ड सदर**					
	1 कमांद	1 अरनेहड	**कुटाहर(रियागडी)**	1 डंगाहर	1 अरनेहड	
		2 डंगाहर		2 कुटाहर	2 कमांद	
		3 कमांद			3 खनाहर	
		4 खनाहर			4 कुथाची	
		5 कुटाहर			5 डीपीएफ माहौर	
		6 कुथाची				
		7 डीपीएफ माहौर				
6	**विकास खण्ड सुन्दरनगर**					
	1 मरहाडा	1 बजीहण 2 हनोग 3 ब्राहटा 4 डी0 पी0 एफ0 कनास 5 मरहडा 6 डी0 पी0 एफ0 मरहडा 7 जनद्रोह 8 रांघड 9 कथाची 10 डी0 पी0 एफ0 कथाची 11 कोट 12 गाहर 13 शाल	**बजीण**	1 बजीहण 2 हनोग 3 ब्राहटा 4 डी0 पी0 एफ0 कनास 5 शाल 6 बजारन 7 बागडी 8 खील 9 डी0 पी0 एफ0 रैग	1 मरहडा 2 डी0 पी0 एफ0 मरहडा 3 जनद्रोह 4 रांघड 5 कथाची 6 डी0 पी0 एफ0 कथाची 7 कोट 8 गाहर	

		14 बजारन 15 बागडी 16 खील 17 डी0 पी0 एफ0 रैग				

आदेश द्वारा
सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0 संख्याः उपरोक्त–59065–80 दिनांक 14 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सुझवों/आक्षेपों यदि कोई हो, को सुझाव तथा आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों के भीतर निपटारा करके ई–मैल या विशेष वाहक द्वारा इस निदेशालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. जिला पचांयत अधिकारी मण्डी को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिशिचित करवाएगें।
3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला मण्डी हि0प्र0. को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पचांयत के प्रधान/सचिव को सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतु उपलब्ध करवाएं तथा इसका व्यापक प्रचार भी सुनिशिचित करें।
4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव ग्राम पचांयत जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को (सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटट पर चसपान सुनिशिचित करवाऐगें तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करे।

संयुक्त सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।